तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/5207/2004/धौलपुर** **अमीरी सिंह व अन्य बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.03.2022	**खण्डपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **श्री गणेश कुमार, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक अपीलांट। श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, अभिभाषक रेस्पो0। **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर दिनांक 22.09.2004 के प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के समक्ष एक वाद विवादित आराजी बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि वादीगण विवादित आराजी के गैर खातेदार दर्ज है जबकि विवादित आराजी उनके पिता व वादी संख्या 3 की खुदकाश्त की भूमि थी जिन्होंने मवासिया को बंटाई पर दी थी किन्तु मवासिया ने गलत तौर पर एक वर्ष में नोतोड का इन्द्राज करा लिया जबकि सवंत 2019 में पनुः हेमराज वगैरहा ही काश्त करते रहे किन्तु राजस्व रिकार्ड में गलत तौर पर अपीलांट को गैर खातेदार दर्ज कर दिया। अतः वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। राज्य सरकार ने जबावदावा पेश करते हुये विवादित आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की बताकर उस पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी प्राप्त न होना बताते हुये भूमि सिवायचक दर्ज करने की प्रार्थना की। परीक्षण न्यायालय ने दावा व जवाबदावा के आधार पर महज जमाबंदी संवत 2015 में मवासिया का नाम नोतोड काश्तकार होने के कारण ही वादीगण को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त न होना मानकर वादीगण का दावा निरस्त कर दिया व राज्य सरकार का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर विवादित आराजी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/5207/2004/धौलपुर** **अमीरी सिंह व अन्य बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को सिवायचक दर्ज करने का आदेश अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2003 द्वारा पारित कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.004 से खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी पर संवत 2019 से पूर्व से ही अपीलांट/वादीगण बतौर खातदेार काबिज चले आ रहे थे किन्तु उनका नाम गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। इस बाबत उन्होने वाद प्रस्तुत किया किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने गलत तौर पर विवादित आराजी को मवासिया अनुसूचित जाति के व्यक्ति की होना बताकर धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन मानते हुये वादीगण/ अपीलांटस का वाद खारिज करने में विधिक भूल की है। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत मानते हुये यथावत रखने का आदेश दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विरोधाभासी है क्योंकि एक ओर तो वे विवादित आराजी को मवासिया की मान रहे है व दूसरी ओर आराजी को सिवायचक दर्ज करने का आदेश दे रहे है। अतः ऐसी स्थिति में आराजी जो कि सिवायचक दर्ज कभी नहीं रही है उसे सिवायचक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/5207/2004/धौलपुर** **अमीरी सिंह व अन्य बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दर्ज करने का आदेश कानून व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने गलत तौर पर पर संवत 2012 की जमाबंदी प्रस्तुत न करने के कारण वादीगण का वाद निरस्त करने में भारी भूल की है, जबकि अपीलांट ने संवत 2019 से लगातार जमाबंदी प्रस्तुत की है जिसमें अपीलांट्स का नाम बतौर गैर खातदोर दर्ज चला आ रहा है व धारा 14 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत गैर खातेदार भी टिनेन्ट की तारीफ में आता है। अतः वादीगण को टीनेन्ट घोषित किया जाना चाहिए परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने उसके गैर खातेदारी अधिकार को सही समाप्त कर दिया जबकि रेस्पो/प्रतिवादीगण किसी प्रकार से अपना काउन्टर क्लेम साबित नहीं कर पाये। उक्त आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के अंत में अपील को स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त करने का निवेदन किया।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलांट्स का कथन है कि विवादित आराजी उसकी खुदकाश्त की आराजी थी परन्तु खुदकाश्त की आराजी के सबंध में अपीलांट्स ने संवत 2015 से पूर्व यानि संवत 2012 से 15 की जमाबंदी पेश नहीं की है। इसलिए उनका उक्त कथन साबित नहीं होता है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक आगे तर्क दिया कि संवत 2015 से 18 में आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज थी तो अपीलांट्स के नाम किस आधार पर इन्द्राज हुई इस संबंध में भी अपीलांट्स द्वारा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजी के संबंध में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि होने के कारण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लघंन है व पूर्व में मवासिया की भूमि होने से उसे वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। चूंकि विवादित आराजी अनुसूचित जात के व्यक्ति की थी जिस पर कानून अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। बहस के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/5207/2004/धौलपुर** **अमीरी सिंह व अन्य बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को सारहीन होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि

''जमाबंदी संवत 2015 से 18 में मवासिया वल्द सांवलिया कौम चमार नोतोड संवत 2015 दर्ज है। जमाबंदी संवत 2019 से 22 में उक्त आराजी अपी0 के नाम गैर खातेदारी में संवत 2016 दर्ज है जो आज तक यही इन्द्राज चले आ रहे है। अपीलांट का कथन कि विवादित आराजी उसकी खुदकाश्त की आराजी थी। परन्तु खुदकाश्त की आराजी के सबंध में अपीलांटस ने संवत 2015 से पूर्व यानि संवत 2012 से 15 की जमाबंदी पेश नहीं की है। इसलिए उनका उक्त कथन साबित नहीं होता है। संवत 2015 से 18 में अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम आराजी है। अपीलांटस के नाम किस आधार पर इन्द्राज हुये, इस संबंध में भी कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। विवादित आराजी के संबंध में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि होने के कारण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लघंन है व पूर्व में मवासिया की भूमि होने से उसके वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। चूंकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की थी जिस पर कानूनन अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जहां तक काउन्टर क्लेम का प्रश्न है, जब विवादित आराजी में अपीलांटस के कोई अधिकार नहीं बनते है तथा धारा 42 का उल्लंघन होने के कारण विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री पारित किये है वे विधिसम्मत है। उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।''

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/5207/2004/धौलपुर** **अमीरी सिंह व अन्य बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के अवलोकन से वस्तुस्थिति इस प्रकार स्पष्ट होती है कि विवादित आराजी की खातेदारी घोषणा हेतु अपीलांट्स/वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के समय या उससे पूर्व की अपनी काश्त की पुष्टि हेतु संवत 2012 या इससेपूर्व की जमाबंदी व खसरा गिरदावरी प्रस्तुत किया जाकर प्रदर्श किया जाना अपेक्षित था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त संवत 2015–16 की जमाबंदी में अनुसूचित जाति के व्यक्ति मवासिया की नोतोड काश्त दर्ज है। उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम की गैर खातेदारी की भूमि का किसके आदेश से परिवर्तन हुआ और बाद में किसी विधिक आदेश से अपीलांट्स का नाम गिरदावरी में दर्ज हुआ। इस प्रकार का कोई विधिक आदेश भी रिकार्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति से जुडी भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं हो सकती है। उक्त मवासिया को मूल वाद में प्रभावति और अनिवार्य पक्षकार होने पर भी पक्षकार नहीं बनाया गया जिसको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित भूमियों के सबंध में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है। इन समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय में कोई महत्पूर्ण विधिक त्रुटि या अनियमितता पाया जाना प्रमाणित नहीं होता है, जिसके आधार पर इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों क्रमशः उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2003 व भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2004 बहाल रखे जाते है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिकी/टी0ए0/5207/2004/धौलपुर** **अमीरी सिंह व अन्य बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (गणेश कुमार) सदस्य (रामनिवास जाट) सदस्य	